

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 186]

रई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 13, 1972/आशाढ़ 22, 1894

No. 186]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 13, 1972/ASADHA 22, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

*New Delhi, the 13th July 1972*

**G.S.R. 339(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 24/70, Central Excises, dated the 1st March, 1970, the Central Government hereby exempts pigments, colours, paints, enamels, varnishes, blacks and cellulose lacquers, falling under Item No. 14 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and manufactured by a manufacturer in a factory in which none of the aforesaid products is manufactured with the aid of power, from the whole of the duty of excise leviable thereon:—

Provided that nothing contained in this notification shall apply to such pigments, colours, paints, enamels, varnishes, blacks and cellulose lacquers manufactured in a factory, if—

(a) the manufacturer, or

(b) when the manufacturer is a partnership firm, any partner thereof,

has proprietary interests in any other factory in which power is used in the manufacture of any of the said products.

[No. 166/72-C.E./F.N.36/3/70-CX.3.]

S. K. GHOSHAL, Under Secy.

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बी 1 विभाग)

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1972

### अधिसूचना

#### केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० फा० नि० 339 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 24/70-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1970 को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14 के अन्तर्गत आने वाले पिगमेंटों, रंगों, पेन्टों, इनेमलों, बार्निशों, ब्लैकों और सेलुलोस लैकरों को, जिनका विनिर्माण किसी विनिर्माता द्वारा ऐसे कारखाने में किया गया हो जिसमें पूर्वोक्त उत्पादों में से किसी उत्पाद का विनिर्माण विद्येय शक्ति की सहायता से नहीं किया गया है, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से एतद्वारा छूट देती है :

परन्तु इस अधिसूचना में की कोई भी बात किसी कारखाने में विनिर्मित ऐसे पिगमेंटों, रंगों, पेन्टों, इनेमलों, बार्निशों, ब्लैकों और सेलुलोस लैकरों को उस दशा में लागू नहीं होगी, यदि—

(क) विनिर्माता का, या

(ख) जहां विनिर्माता कोई भागीदारी फर्म हो वहां उसके किसी भागीदार का,

किसी ऐसे अन्य कारखाने में साम्प्रतिक हित हो जिसमें उक्त उत्पादों में से किसी उत्पाद के विनिर्माण में विद्युत शक्ति का प्रयोग किया गया है ।

एस० के० घोषाल, अवसर सचिव ।

[सं० 166/72-के०उ०शु०/फा० सं० 36/3/70-सी एक्स० 3]